उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसस्करण अनुभाग

संख्या-97/2019/632/58-2-2019-600(7)/2017

लखनऊ::दिनांक: 26 जुलाई 2019

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अधिसूचना संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-27 अक्टूबर,2017 द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है, में निम्न संशोधन करते हुए नये प्राविधान जोड़े जाते हैं :.

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में वर्तमान व्यवस्था	उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 में संशोधन/नये प्राविधान
7.1.1 पूँजीगत निवेश अनुदान	(ख) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शाकभाजी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/ विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन) इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।	(ख) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली ऐसी खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयाँ (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन), जो इस नीति के प्रस्तर-3 से आच्छादित हों, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अधिकतम रू 50 लाख की सीमा तक, अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान इकाई के क्रियाशील होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।
	(ग) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, जिनमें न्यूनतम पूंजी निवेश रू 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।	(ग) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क/एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर परियोजनाओं, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान राज्य सरकार द्वारा इकाई के क्रियाशील होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।
	परन्तुक, प्रस्तर-7.1.1 (क) में प्राविधानित सुविधा प्रस्तर-7.1.1 (ख एवं ग) से आच्छादित प्रस्तावों को अनुमन्य नहीं होगी।	परन्तुक, प्रस्तर-7.1.1 (क) एवं 7.1.2 में प्राविधानित सुविधा प्रस्तर-7.1.1 (ख एवं ग) से आच्छादित प्रस्तावों को अनुमन्य नहीं होगी।

......2/-

8. अन्य सुविधायें	उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित समय-समय पर प्राविधानित सुविधाओं के सुसंगत प्रस्तर लागू होंगे और यह सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।	8.1 नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 05 वर्ष की अवधि के लिए मण्डी शुल्क में छूट संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।(उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.9 के अनुसार); उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रस्तर-5.3 (डी) के अन्तर्गत एस0जी0एस0टी0 हेतु प्रतिपूर्ति की निर्धारित सीमा एवं व्यवस्था के अनुसार, योजनान्तर्गत अनुमन्य वर्ष में मण्डी शुल्क एवं एस0जी0एस0टी0 (मण्डी शुल्क+एस0जी0एस0टी0 की रूप में जमा की गयी धनराशि का योग) के रूप में जमा की गयी कुल धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा ही की जायेगी। प्रतिपूर्ति संबंधी उक्त व्यवस्था से कोई अन्य नियम/नीति प्रभावित होने की दशा में इस सीमा तक उक्त नियम/नीति संशोधित समझी जाय। 8.2 उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित समय-समय पर प्राविधानित सुविधाओं के सुसंगत प्रस्तर लागू होंगे और यह सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

.......3/-

10 4 नोडल एजेन्सी/ नोडल विभाग:	(1) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण लिए नोडल विभाग होगा। (2) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी होगा।	(1) यथावत। (2) यथावत। (3) नीति के क्रियान्वयन एवं उद्यमियों को सहायता हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेन्सी (पी.एम.ए.) चयनित की जायेगी।

2. अधिसूचना संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-27 अक्टूबर,2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान/व्यवस्था यथावत रहेंगे।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या97/2019/632(1)/58-2-2019, तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।